

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 34/2020

दायर दिनांक:- 19/10/2020

निर्णय दिनांक:- 12.07.2021

उनवान

1.पप्पूलाल पिता भैरूलाल भील निवासी-पटोलिया, तहसील-भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़।

वादी

बनाम

1. मंजू बाई पुत्री जयराम भील निवासी-भूपालसागर, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. लादूलाल पिता जयराम भील निवासी-भूपालसागर, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
3. तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थिति:-**
1. श्री मुदस्सर नजर वादी वकील
 2. श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी सं. 3

-:निर्णय: :-

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-

यह है कि मौजा रावतिया पटवार हल्का रावतिया तहसील भूपालसागर के हल्के बेरुनी मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं. 466 में दर्ज आ.न. 2132/96 रकबा 0.80 हैक्ट.स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोन, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने 1/3 हक हिस्से अनुसार बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2021 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाडा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंड्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौके व बंटवाडा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा-




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ़ (राज.)



क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	रंग
1	पप्पुलाल पिता भैरूलाल भील नि.-पटोलिया	2132/96/1	0.2670 हैक्ट.	पीला
2	लादूलाल पिता जयराम भील 1/2, मंजूबाई पुत्री जयराम भील 1/2 नि.- भूपालसागर	2132/96/2	0.5330 हैक्ट.	सफेद

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंड्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



A
 (सुरवास मिण्डेल)
 सहायक कलेक्टर एवं
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
 भूपालसागर
 जिला भूपालसागर (राज.)

अंतिम डिक्री बमुकददमे इब्तादाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल. (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 34/2020

दायर दिनांक:- 19/10/2020

निर्णय दिनांक:- 12.07.2021

उनवान

1.पप्पूलाल पिता भैरूलाल भील निवासी-पटोलिया, तहसील-भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ।

वादी

बनाम

1. मंजू बाई पुत्री जयराम भील निवासी-भूपालसागर, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. लादूलाल पिता जयराम भील निवासी-भूपालसागर, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादी

बाबत् राजस्व वाद अर्न्तगत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रूबरू वादी का वाद अर्न्तगत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पूर्व में स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 34/2020 में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी। तत्पश्चात तहसीलदार भूपालसागर से बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री पक्षकारानों के वकील को सुन कर जारी की जाती है। जिसमें बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार काश्तकारों के बंट (हिस्से) में निम्न सारणी अनुसार भूमि हिस्से में रखी जाती है:-

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	रंग
1	पप्पूलाल पिता भैरूलाल भील नि.-पटोलिया	2132/96/1	0.2670 हैक्ट.	पीला
2	लादूलाल पिता जयराम भील 1/2, मंजूबाई पुत्री जयराम भील 1/2 नि.- भूपालसागर	2132/96/2	0.5330 हैक्ट.	सफेद

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



A. सुखाराम
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ (राज.)

वादी		वाद के खर्चे	
	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड		जोड



(सुखाराम पिण्डेल) *SPM*
 सहायक कलेक्टर एवं
 सहायक जज
 उपखण्ड अदालत सागर
 जिला-चित्तूर (राज.)